

02

13146

IV 63 2012



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

हरीओम कौशिक
पर्सनल लेखक बागपत
लाइसेन्स न०-29

M 914105



फोटो प्रमाणित कर्ता : हरिओम कौशिक दस्तावेज लेखक बागपत।
ट्रस्ट नामा

ट्रस्ट की सम्पत्ति : 10,000/-रु० दस हजार रुपये
स्टाम्प अंकन 750/-रु० किता 4 व 5

(20)

यह ट्रस्ट डीड आज दिनांक 10.10.2012 को श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री केहर सिंह निवासी ग्राम सिंघावली अहीर तहसील व जिला बागपत ने बनाया जिनको संस्थापक ट्रस्टी कहा जायेगा।

ज्ञात हो कि संस्थापक ट्रस्टी ने समाज की सेवा हेतु गरीब वर्ग के उत्थान के लिए व उच्च उत्तम शिक्षा के लिए यह चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया है।

Principal
Principal
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Bagpat (U.P.)



Manager
Manager
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Bagpat (U.P.)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH के नियमानुसार होंगे :-

BB 304679

1. नाम :- ट्रस्ट का नाम के0बी0एम0, एजुकेशन ट्रस्ट होगा।
2. कार्यालय:- ग्राम सिंघावली अहीर, जनपद बागपत रहेगा।
3. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा। सरकार से इजाजत मिलने के उपरान्त ट्रस्ट का कार्य विदेशों में किया जा सकता है।
4. ट्रस्ट के उद्देश्य :-
 1. समाज के हर वर्ग के लिए प्रत्येक स्तर पर शिक्षण संस्था को चलाना।
 2. जरूरतमंदों को मेडिकल सहायता देना।
 3. गरीबों के लिए भोजन व्यवस्था, शादी विवाह में मदद करना व समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना।
 4. समाज के चारित्रिक उत्थान के लिए व्याख्यान व गोष्ठियों का आयोजन करना।

Jain
Principal
B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)

K.B.M. International School
Manager
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)

306
 न्याय प्रणाली का प्रयोग
 न्याय प्रणाली का नाम है न्याय प्रणाली 100 + 3054
 न्याय प्रणाली का प्रयोग 100 + 3054

न्याय प्रणाली का प्रयोग
 न्याय प्रणाली का प्रयोग
 न्याय प्रणाली का प्रयोग
 न्याय प्रणाली का प्रयोग

न्याय पत्र
 10,000.00 100.00 20 120.00 600
 न्याय की राशि फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग
 श्री वेदप्रकाश
 पुत्र श्री केहर सिंह
 व्यवसाय कृषि
 निवासी न्याय प्रणाली अहीर तह व जिला बागपत
 अस्थायी पता
 ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 10/10/2012 समय 4:34PM
 यजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक

बागपत

10/10/2012

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून
 न्यासी

श्री वेदप्रकाश
 पुत्र श्री केहर सिंह
 पेशा कृषि
 निवासी नि0 सिधावली अहीर तह व जिला बागपत



ने निष्पादन स्वीकार किया।
 जिनकी पहचान श्री हरिओम कौशिक दस्तावेज लेखक

पेशा दस्तावेज लेखक
 निवासी नि0 बागपत
 व श्री अमरजीत सिंह दस्तावेज लेखक
 पुत्र श्री
 पेशा दस्तावेज लेखक
 निवासी नि0 बागपत
 ने की।

प्रत्यक्ष बाद साक्षियों के निशान अंगुठे नियमानुसार लिये गये हैं।

Signature of the person whose name is in the document.

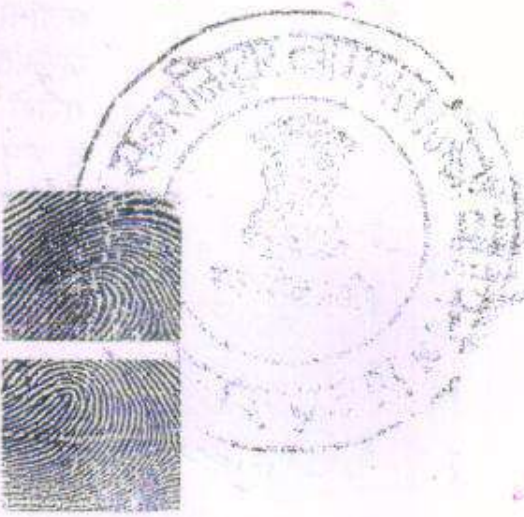
Signature of the person whose name is in the document.

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक

बागपत

10/10/2012





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-3-

5. जल संरक्षण करने की विधियां व जल का महत्व बताना।
6. वृक्षारोपण करना, वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण के प्रति अभियान चलाना।
7. घातक बीमारी जैसे एड्स, कैंसर आदि के प्रति जागरण चलाना एवं समाज के उत्थान हेतु अन्य सकारात्मक कार्य करना।

5. प्रबन्धन :-

- (अ) ट्रस्ट का कार्यालय ग्राम सिंघावली अहीर, जनपद बागपत होगा।
- (ब) ट्रस्ट के ट्रस्टियों की संख्या केवल 8 होगी। आवश्यकता पड़ने पर सर्व सम्मति से संख्या बढ़ाई जा सकती है।

Jain
Principal
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)

G. P. Jaiswal
Manager
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)

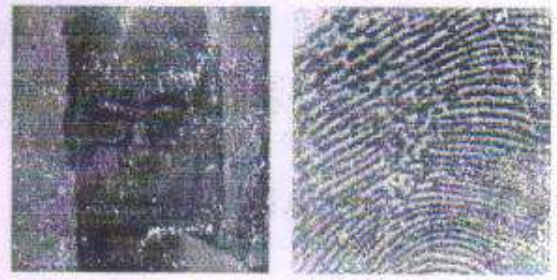
307
न्याय प्रणाली की ला 10-12
न्याय प्रणाली की प्रणाली
न्याय प्रणाली की प्रणाली 30-5 01
न्याय प्रणाली की प्रणाली 100

न्याय प्रणाली की प्रणाली 30-5 01
न्याय प्रणाली की प्रणाली 100
न्याय प्रणाली की प्रणाली 3
न्याय प्रणाली की प्रणाली 3

न्यासी

Registration No.: 63 Year: 2,012 Book No.: 4

0101 वेदप्रकाश
के हर सिंह
नि0 सिधायली अहीर तह व जिला बागपत
कृषि





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 183100

संस्था के संस्थापक ट्रस्टी ने निम्न प्रकार ट्रस्टियों को निम्न कार्य सौंपा:-

1. श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री केहर सिंह निवासी ग्राम सिंघावली अहीर तहसील व जिला बागपतअध्यक्ष ट्रस्टी।
2. ब्रजमोहन पुत्र श्री वेदप्रकाश निवासी डी0 590/बी0, अशोक नगर, दिल्ली 93उपाध्यक्ष ट्रस्टी।
3. कपिल मोहन पुत्र श्री वेदप्रकाश निवासी डी0 590/बी0, अशोक नगर, दिल्ली 93सचिव ट्रस्टी
4. मदन मोहन पुत्र श्री वेदप्रकाश निवासी ग्राम सिंघावली अहीर तह0 व जिला बागपतकोषाध्यक्ष
5. श्रीमति राजेश देवी पत्नी श्री वेदप्रकाश निवासी ग्राम सिंघावली अहीर तह0 व जिला बागपतसदस्य ट्रस्टी
6. विनीत पुत्र श्री रणवीर निवासी जी 1 - 151, गली न0 3, अशोक नगर, शाहदरा दिल्ली 93सदस्य ट्रस्टी
7. श्रीमति कविता पुत्री श्री रामपाल निवासी इन्द्रा नगर द्वितीय, दिल्ली चुंगी के पास, मेरठ जिला मेरठसदस्य ट्रस्टी
8. श्रीमति कविता पुत्री श्री ब्रह्म सिंह निवासी 11/50, रायल होटल, माल रोड, मेरठ केन्ट, मेरठसदस्य ट्रस्टी

Dain
Principal
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghat (U.P.)

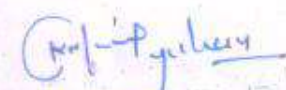
K. P. Gulav
Manager
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghat (U.P.)

इन सभी ने ट्रस्ट का ट्रस्टी बनना स्वीकार किया है। यह सभी ट्रस्टी समय-समय पर ट्रस्ट को द्वाऱा संभव आर्थिक सहयोग देंगे जो दान स्वरूप होगा।

सदस्यता :- कोई भी नया ट्रस्टी अध्यक्ष ट्रस्टी की सहमति से ही बनाया जा सकेगा तथा वह सदस्य ट्रस्टी कहलायेगा तथा वह सदस्यता मिलने पर अपनी साम्थर्य अनुसार ट्रस्ट को आर्थिक मदद देगा। उक्त आठो ट्रस्टीयों में से किसी की मृत्यु के पश्चात उनके परिवार का बड़ा पुत्र, पुत्र न होने की दशा में बड़ी पुत्री व उक्त दोनों के न होने की दशा में उक्त ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति ट्रस्ट में उसका स्थान ग्रहण करेगा या ट्रस्टी की वसीयत अनुसार (दोनों में से जो पहले हो) के अनुसार उसका स्थान ग्रहण करेगा।

6. नियमों में परिवर्तन :- आवश्यकता पडने पर ट्रस्टीगण बहुमत से नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं तो प्रस्ताव पारित होने के बाद तुरन्त लागू माने जायेंगे। विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष स्वयं भी नियम परिवर्तन कर सकता है।
7. कोष :- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दान, भेट, ग्रांट आदि प्राप्त किये जा सकते हैं। सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। ट्रस्टी स्वयं भी समय-समय पर ट्रस्ट को दान देंगे, अचल सम्पत्ति संस्था के नाम पर ग्रहण कर सकते हैं आवश्यकता से अधिक होने पर सम्पत्ति किराये पर दी जा सकती है, विक्रय की जा सकती है। जिसकी आय संस्था के उद्देश्य की पूर्ति में की जायेगी।
8. वित्तीय वर्ष :- ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।


Principal
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)


Manager
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)



9. बैंक में खाते का संचालन :- ट्रस्ट का खाता डाकघर अथवा राष्ट्रीयकृत बैंको में खोला जायेगा, जिसका संचालन संस्थापक ट्रस्टी अकेले या संस्थापक ट्रस्टी एवं कोषाध्यक्ष ट्रस्टी अथवा सर्व सम्मति से पारित नाम वाला ट्रस्टी करेगा।
10. ट्रस्ट की सम्पत्ति :- 10,000/-रु0 दस हजार रुपये है।
11. खातों के आडिट :- ट्रस्ट का फण्ड सचिव ट्रस्टी द्वारा किसी सी0ए0 से आडिट कराया जायेगा।
12. कोरम :- ट्रस्ट सभा की कार्यवाही 2/3 ट्रस्टीयों की उपस्थिति में शुरू की जा सकेगी। सामान्य सभा हेतु एक सप्ताह का समय सूचना के लिए व विशेष सभा के लिए 24 घण्टे का समय होगा।
13. कार्यवाही बुक :- ट्रस्ट समस्त रिकार्ड अध्यक्ष/सचिव ट्रस्टी के पास सुरक्षित रहेगा। जिसमें विभिन्न रजिस्टर होंगे।
14. सदस्यता की समाप्ति :- ट्रस्टी की मृत्यु होने पर, त्याग पत्र देने पर, पागल होने पर, ट्रस्टी विरोधी कार्य करने पर शेष ट्रस्टीयों की सहमति से व गबन करने पर।
15. ट्रस्टीयों के पद :- ट्रस्ट में एक संस्थापक/अध्यक्ष ट्रस्टी, एक उपाध्यक्ष ट्रस्टी, एक सचिव ट्रस्टी व एक कोषाध्यक्ष ट्रस्टी व एक सदस्य ट्रस्टी स्थाई रूप से होंगे। यह सभी ट्रस्ट हित देखेंगे। अध्यक्ष कार्य करने हेतु अन्य पदाधिकारियों/सदस्यों को लगा/हटा सकते हैं।
16. अधिकार एवं कर्तव्य :-
संस्थापक :- ट्रस्ट के हितों की रक्षा करेगा, सलाह मशवरा देगा, सचिव ट्रस्टी के साथ ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेगा।

Jain

Principal
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)



K.B.M. International School

Manager
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)

अध्यक्ष ट्रस्टी :- ट्रस्ट की सभाओं की अध्यक्षता करेगा। ट्रस्ट के हितों को देखेगा तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति विक्रय एवं खरीदने का अधिकार अध्यक्ष ट्रस्टी को ही होगा। अध्यक्ष ट्रस्टी की मृत्यु पर अध्यक्ष ट्रस्टी के समस्त अधिकार उसकी वसीयत के अनुसार नामित व्यक्ति तथा वसीयत न होने की स्थिति में बड़े पुत्र को चले जायेंगे।

उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभाओं की अध्यक्षता करेगा।

सचिव ट्रस्टी :- समस्त रिकार्ड सुरक्षित रखेगा, सभा सूचना देगा। सभा की कार्यवाही लिखेगा। अध्यक्ष के साथ ट्रस्ट में कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेगा। ट्रस्ट हित के लिए समस्त पत्र व्यवहार करेगा। आय-व्यय से ट्रस्टीयों को अवगत करायेगा। चल व अचल सम्पत्ति की देखभाल का जिम्मेवार होगा।

कोषाध्यक्ष :- आय-व्यय का हिसाब रखेगा। समस्त प्राप्त धन की रसीद काटेगा। सभी बिलों का भुगतान अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षरों के उपरान्त होगा।

सदस्य ट्रस्टी :- ट्रस्ट हित देखेंगे। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करेंगे।

17. ट्रस्ट द्वारा अथवा विरुद्ध कार्यवाही का दायित्व :- किसी भी विवाद की अवस्था में अध्यक्ष या सचिव व अध्यक्ष का संयुक्त दायित्व होगा कि वह शिकायत करें, जवाब दें, वाद दायर करें अथा उत्तर दें। जो भी आवश्यक हो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लावे। प्रत्येक विवाद की अवस्था में न्याय क्षेत्र बागपत न्यायालय रहेगा।

देखें



Gain

Principal
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghat (U.P.)

Manager

Manager
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghat (U.P.)

18. संविधान परिवर्तन :- ट्रस्टियों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से नियमों में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन की पुष्टि होने पर सभी सदस्यों को इसकी छाया प्रति दी जायेगी क्योंकि मूल ट्रस्ट में संशोधन नहीं किया जा सकता, इसलिए वह पुष्टि के बाद लागू माना जायेगा। विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष भी संविधान परिवर्तन कर सकता है।
19. ट्रस्ट समापन :- यदि ट्रस्ट का समापन होता है तो तमाम सम्पत्ति अध्यक्ष की इच्छानुसार ही समाप्त/विक्रय करके देनदारी आदि का हिसाब करके अन्य ट्रस्टियों को दी जायेगी।

वेकम



Hain

Principal
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)

Chaitanya

Manager
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)

यह ट्रस्टनामा आज दिनांक 10.10.2012 को संस्थापक ट्रस्टी के द्वारा एंव सहमति से लिख गया है।

मसौदा नवीस : हरिओम कौशिक दस्तावेज लेखक बागपत।

साक्षी : हरिओम कौशिक द०ले० बागपत।



साक्षी : अमरजीत सिंह द०ले० बागपत।

Amarjeet Singh



Manager

K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)


Principal
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)


हरिओम कौशिक
दस्तावेज लेखक बागपत
लाईसन्स न०-29

19

रजिस्ट्रेशन अधिनियम - 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : के.बी.एम. इंटरनेशनल सिंघावली

उन्हीर बागपत

दायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह

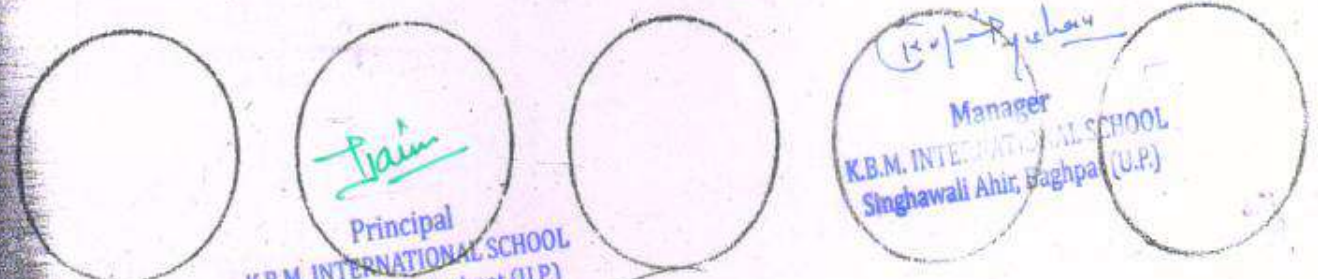


बाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

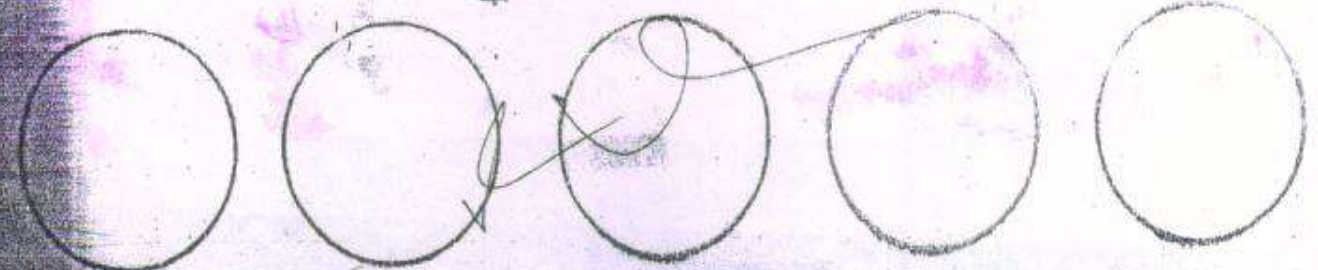


विक्रेता का नाम व पता

दायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



बाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-



आज दिनांक 10/10/2012 को

वही सं. 4 जिल्द सं. 159

पृष्ठ सं. 1 से 20 पर क्रमांक 63

रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उपनिबंधक

बागपत

10/10/2012



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP11192799343918W

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IV 78
2024



2012-2024

Certificate No. : IN-UP11192799343918W
Certificate Issued Date : 20-Dec-2024 10:57 AM
Amount Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14165104/ BAGHPAT SADAR/ UP-BGH
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1416510419390673624868W
Purchased by : VEDPRAKASH SO KEHER SINGH
Description of Document : Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description : KBM EDUCATION TRUST SINGHAWALI AHIR DISTT BAGHPAT
Consideration Price (Rs.) :
First Party : VEDPRAKASH SO KEHER SINGH
Second Party : Not Applicable
Stamp Duty Paid By : VEDPRAKASH SO KEHER SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.) : 800
(Eight Hundred only)



E-STAMP
LOOKED
[Signature]

हरिओम कौशिक
दस्तावेज लेखक
बागपत सदर
मो-9411024160, 8273739604

Please write or type below this line

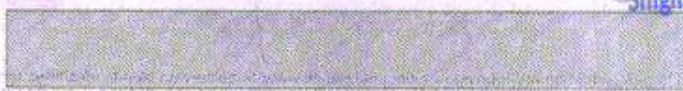


Train
Principal
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)

[Signature]

Manager
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)
0020997916

Signature Area





डा. ओम कौशिक
बागपत सदर
मो-9411024160, 8273739604

ट्रस्ट नामा/ट्रस्ट पूरक पत्र

स्टाम्प : 800/-रु0 किता 1 व 7 सादे पेपर
ई स्टाम्प सर्टिफिकेट न0 IN-UP11192799343918W
आवेदन सं0 202400736017203

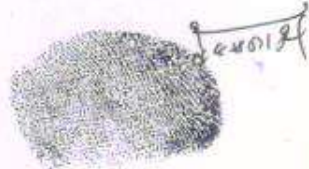
यह ट्रस्ट डीड/ट्रस्ट पूरक पत्र आज दिनांक 20.12.2024 को वेदप्रकाश पुत्र केहर सिंह निवासी ग्राम सिंघावली अहीर तह0 व जिला बागपत ने बनाया जिनको संस्थापक ट्रस्टी कहा जायेगा।

ज्ञात हो कि संस्थापक ट्रस्टी ने दिनांक 10.10.2012 को समाज की सेवा हेतु सभी वर्गों प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्रा0 शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा व उच्चतम शिक्षा के लिए एक ट्रस्ट के0बी0एम0 ऐजुकेशन ट्रस्ट सिंघावली अहीर जनपद बागपत में शुरू किया था, जो वही न0 4, जिल्द 159 पृष्ठ 1 से 20, क्रमांक 63 पर उपनिबन्धक कार्यालय बागपत पर दर्ज है।

यह कि उक्त ट्रस्ट डीड में व्यवस्थापकों को यह अधिकार दिया गया है कि वह ट्रस्ट में संशोधन/अमेन्डमेंट/ऐडिसन कर सकें और इसी के अनुपालन में उक्त व्यवस्थापको/ट्रस्टियों ने उक्त ट्रस्ट में निम्न संशोधन व ऐडिशन किया है -

Prin

Principal
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)



K.B.M. International School

Manager
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)

यह कि व्यवस्थापको/ट्रस्टियों ने दिनांक 10.12.2024 को ट्रस्ट की एक मीटिंग मुख्य कार्यालय ग्राम सिंघावली अहीर जनपद बागपत में की जिसमें सर्व सम्मति से निम्न प्रस्ताव प्राप्त हुए।

1. यह कि ट्रस्ट के पूर्व सदस्य ट्रस्टी विनित पुत्र रणवीर जी 1, 151, गली नं० 3, अशोक नगर, शाहदरा दिल्ली 93 के द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त सदस्य ट्रस्टी पद पर नये सदस्य ट्रस्टी भावना राणा (आधार नं० **** * 0398) पत्नी कपिल मोहन निवासी ग्राम सिंघावली अहीर तह० व जिला बागपत को सदस्यता दी गई है।
2. यह कि प्रस्ताव दिनांक 10.12.2024 में ट्रस्ट डीड दिनांक 10.10.2012 के नियम व उद्देश्यों में निम्न उद्देश्य बढ़ाये गये हैं तथा इस कार्य के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है।

ट्रस्ट के उद्देश्य :-

1. समाज के हर वर्ग के लिए प्रत्येक स्तर (प्रा० शिक्षण संस्था, उच्च प्रा० शिक्षण संस्था व माध्यमिक शिक्षा संस्था व उच्च शिक्षण संस्था को चलाना।
2. समाज के हर वर्ग के लिए तकनीकी व गैर तकनीकी शिक्षण संस्थाएं चलाना।
3. लड़कियों एवं महिलाओं के लिए शिक्षण संस्था व कार्यक्रम (बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर व कम्प्यूटर आदि) चलाना।
4. जरूरतमंदों को मेडिकल सहायता देना।
5. गरीबों के लिए भोजन व्यवस्था, शादी विवाह में मदद करना व समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना।
6. समाज के चारित्रिक उत्थान के लिए व्याख्यान व गोष्ठियों का आयोजन करना।
7. जल संरक्षण करने की विधियां व जल का महत्व बताना।
8. वृक्षारोपण करना, वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण के प्रति अभियान चलाना।
9. घातक बीमारी जैसे एड्स, कैंसर आदि के प्रति जागरण चलाना एवं समाज के उत्थान हेतु अन्य सकारात्मक कार्य करना।
10. इस ट्रस्ट के समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं, ट्रस्ट समितियों से आर्थिक सहायता व अन्य प्रकार का सहयोग प्राप्त करना व प्रदान करना।
11. यू०जी०सी० एवं अन्य स्वायत्त संस्थाओं सरकारी एवं गैर सरकारी शैक्षिक अधिकरणों से विशिष्ट शैक्षिक केन्द्र प्राप्त करना एवं विभिन्न प्रयोजनाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना।

६०.२०२४

Principal

Principal
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)

Manager

Manager
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)

आवेदन सं०: 202400736017203

न्यास पत्र

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 78

वर्ष: 2024

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 800 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 160

श्री वेदप्रकाश,
पुत्र श्री केहर सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: ग्राम सिंघावली अहीर तह० ब जिला बागपत

9/12/2024



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/12/2024 एवं 04:21:48 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शिव शंकर सिंह
उप निबंधक :सदर
बागपत
20/12/2024

मुस्तफा खान
निबंधक लिपिक
20/12/2024

प्रिंट करें



12. ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना एवं वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो।
13. समाज के पिछड़े व अल्पसंख्यक, व गरीबों के लिए व्यवसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण के कार्य करना तथा सामाजिक व बौद्धिक विकास हेतु प्रोत्साहित करना।
14. प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकम्प, अग्निकांड व महामारी के समय पीड़ितों को मेडिकल व अन्य सहायता उपलब्ध कराना।
15. प्रौढ शिक्षा केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम व कृष्ट आश्रम आदि की स्थापना करना व उनका संचालन करना।

सदस्यता :- कोई भी नया ट्रस्टी अध्यक्ष ट्रस्टी की सहमति से ही बनाया जा सकेगा तथा वह सदस्य ट्रस्टी कहलायेगा तथा वह सदस्यता मिलने पर पांच हजार रुपये ट्रस्ट को आर्थिक मदद देगा। आजीवन ट्रस्टियों में से किसी की मृत्यु के पश्चात उनके परिवार का बड़ा पुत्र, पुत्र न होने की दशा में बड़ी पुत्री व उक्त दोनों के न होने की दशा में उक्त ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति ट्रस्ट में उसका स्थान ग्रहण करेगा या ट्रस्टी की वसीयत अनुसार (दोनों में से जो पहले हो) के अनुसार उसका स्थान ग्रहण करेगा।

2. नियमों में परिवर्तन :- आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्टीगण बहुमत से नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं तो प्रस्ताव पारित होने के बाद तुरन्त लागू माने जायेंगे। विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष स्वयं भी नियम परिवर्तन कर सकता है।
3. कोष :- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दान, भेंट, ग्रांट आदि प्राप्त किये जा सकते हैं। सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। ट्रस्टी स्वयं भी समय-समय पर ट्रस्ट को दान देंगे, अचल सम्पत्ति संस्था के नाम पर ग्रहण कर सकते हैं आवश्यकता से अधिक होने पर सम्पत्ति किराये पर दी जा सकती है, विक्रय की जा सकती है। जिसकी आय संस्था के उद्देश्य की पूर्ति में की जायेगी।
4. वित्तीय वर्ष :- ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।
5. बैंक में खाते का संचालन :- ट्रस्ट का खाता डाकघर अथवा राष्ट्रीयकृत बैंको में खोला जायेगा, जिसका संचालन संस्थापक ट्रस्टी एवं कोषाध्यक्ष ट्रस्टी दोनों संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालन किया जायेगा।
6. खातों के आडिट :- ट्रस्ट का फण्ड आवश्यकता होने पर सचिव ट्रस्टी द्वारा किसी सी०ए० से आडिट कराया जायेगा।
7. कोरम :- ट्रस्ट सभा की कार्यवाही 2/3 ट्रस्टियों की उपस्थिति में शुरू की जा सकेगी। सामान्य सभा हेतु एक सप्ताह का समय सूचना के लिए व विशेष सभा के लिए 24 घण्टे का समय होगा।

Principal



Principal
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)

Manager

Manager
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)

आवेदन सं०: 202400736017203

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 78

वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त न्यासी: 1

श्री वेदप्रकाश, पुत्र श्री केहर सिंह

निवासी: ग्राम सिंघावली अहीर तह० व जिला बागपत

व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री संजीव कुमार शर्मा, एड०

निवासी: बागपत

व्यवसाय: वकालत

पहचानकर्ता: 2



श्री हरिओम कौशिक, द०ले०

निवासी: बागपत

व्यवसाय: दस्तावेज लेखक



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्ष भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे निप्रमानुसार लिए गए है।
टिप्पणी:

शिव शंकर सिंह

उप निबंधक: सदर

बागपत

20/12/2024

मुस्तफा खान

निबंधक लिपिक बागपत

20/12/2024

प्रिंट करें

8. कार्यवाही बुक :- ट्रस्ट समस्त रिकार्ड अध्यक्ष/सचिव ट्रस्टी के पास सुरक्षित रहेगा। जिसमें विभिन्न रजिस्टर होंगे।
9. सदस्यता की समाप्ति :- ट्रस्टी की मृत्यु होने पर, त्याग पत्र देने पर, पागल होने पर, ट्रस्टी विरोधी कार्य करने पर शेष ट्रस्टीयों की सहमति से व गबन करने पर।
10. ट्रस्टीयों के पद :- ट्रस्ट में एक संस्थापक/अध्यक्ष ट्रस्टी, एक उपाध्यक्ष ट्रस्टी, एक सचिव ट्रस्टी व एक कोषाध्यक्ष ट्रस्टी व एक सदस्य ट्रस्टी स्थाई रूप से होंगे। यह सभी ट्रस्ट हित देखेंगे। अध्यक्ष कार्य करने हेतु अन्य पदाधिकारियों/सदस्यों को लगा/हटा सकते हैं।
11. अधिकार एवं कर्तव्य :-
 संस्थापक :- ट्रस्ट के हितों की रक्षा करेगा, सलाह मशवरा देगा, सचिव ट्रस्टी के साथ ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेगा।
 अध्यक्ष ट्रस्टी :- ट्रस्ट की सभाओं की अध्यक्षता करेगा। ट्रस्ट के हितों को देखेगा तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति विक्रय एवं खरीदने का अधिकार अध्यक्ष ट्रस्टी को ही होगा। अध्यक्ष ट्रस्टी की मृत्यु पर अध्यक्ष ट्रस्टी के समस्त अधिकार उसकी वसीयत के अनुसार नामित व्यक्ति तथा वसीयत न होने की स्थिति में बड़े पुत्र को चले जायेंगे।
 उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभाओं की अध्यक्षता करेगा।
 सचिव ट्रस्टी :- समस्त रिकार्ड सुरक्षित रखेगा, सभा सूचना देगा। सभा की कार्यवाही लिखेगा। अध्यक्ष के साथ ट्रस्ट में कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेगा। ट्रस्ट हित के लिए समस्त पत्र व्यवहार करेगा, तथा दस्तावेज प्रमाणित करेगा। आय-व्यय से ट्रस्टीयों को अवगत करायेगा। चल व अचल सम्पत्ति की देखभाल का जिम्मेवार होगा।
 कोषाध्यक्ष :- आय-व्यय का हिसाब रखेगा। समस्त प्राप्त धन की रसीद काटेगा। सभी बिलों का भुगतान अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षरों के उपरान्त होगा।
 सदस्य ट्रस्टी :- ट्रस्ट हित देखेंगे। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करेंगे।
12. ट्रस्ट द्वारा अथवा विरुद्ध कार्यवाही का दायित्व :- किसी भी विवाद की अवस्था में अध्यक्ष या सचिव व अध्यक्ष का संयुक्त दायित्व होगा कि वह शिकायत करें, जवाब दें, वाद दायर करें अथा उत्तर दें। जो भी आवश्यक हो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लावे। प्रत्येक विवाद की अवस्था में न्याय क्षेत्र बागपत न्यायालय रहेगा।
13. संविधान परिवर्तन :- ट्रस्टीयों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से नियमों में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन की पुष्टि होने पर सभी सदस्यों को इसकी छाया प्रति दी जायेगी क्योंकि मूल ट्रस्ट में संशोधन नहीं किया जा सकता, इसलिए वह पुष्टि के बाद लागू माना जायेगा। विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष भी संविधान परिवर्तन कर सकता है।

[Signature]

Principal
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)

[Signature]

[Signature]

Manager
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)

14. ट्रस्ट समापन :- यदि ट्रस्ट का समापन होता है तो तमाम सम्पत्ति अध्यक्ष की इच्छानुसार ही समाप्त/विक्रय करके देनदारी आदि का हिसाब करके सरकार के नियमानुसार समापन किया जायेगा।

15. सामान्य बातें :-

1. ट्रस्ट की समस्त गतिविधियों के लिए प्रबन्ध तथा प्रशासन सम्बन्धी अधिकार बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में निहित होंगे।
2. संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त ट्रस्ट की स्थापना किसी व्यक्ति, समाज, समुदाय, विशेष के लिए न होकर सभी जाति, धर्म, संप्रदायों तथा वर्गों के व्यक्तियों के हितों के लिए की गयी है।
3. ट्रस्ट की बैठक की कार्यवाही का एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें विभिन्न बैठकों में लिये गये निर्णयों को लिपिबद्ध किया जायेगा तथा उस पर उस सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे तथा ट्रस्ट की सभी कार्यवाही एवं व्यवहार का संचालन ट्रस्ट के नाम से ही किया जायेगा।
4. किसी भी मुद्दे पर किसी व्यक्ति, संस्था संगठन आदि से विवाद होने अथवा विवादित कार्य अथवा अनिर्णय की स्थिति में ट्रस्टीगण पंच/ निर्णय हेतु पंचों का चयन कर सकेंगे।
5. इस ट्रस्ट डीड में या ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाये गये विभिन्न नियमों या उपनियमों में परिवर्तन या परिवर्धन आवश्यक हुआ तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में 2/3 के बहुमत से आवश्यक परिवर्तन, संशोधन, परिवर्धन किया जा सकेगा।
6. ट्रस्ट के इस घोषणा पत्र में यदि कोई बात स्पष्ट नहीं है या लिखने में छूट गयी हो तो उसका निर्णय उत्तर प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 अथवा इस समय प्रचलित कानून के अनुसार किया जायेगा।
7. ट्रस्ट की बैठक में सभी निर्णय बहुमत से लिये जायेंगे, किन्तु इस हेतु बैठक में किसी मुद्दे पर समान मत न होने पर सभाध्यक्ष को अतिरिक्त मत देने का अधिकार होगा।
8. इस ट्रस्ट की चल अथवा अचल सम्पत्ति का उपयोग कोई भी ट्रस्टी अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं कर सकेगा। ऐसा होने की दशा में अन्य ट्रस्टी बहुमत के आधार पर तथा संरक्षक उसको ट्रस्टी के पद से हटा सकेंगे।
9. ट्रस्टीगण इस ट्रस्ट को दान देने वालों के हितार्थ समय-2 पर ट्रस्ट के लिये आयकर अधिनियम में ऐसी छूट प्राप्त कर सकेंगे जो इस समय लागू हो।

16. शासन/विभागीय प्रतिबन्ध :-

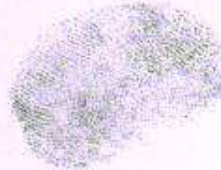
1. यह कि विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. यह कि विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

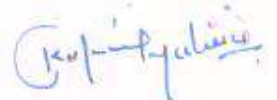
के.बी.एम.आई.एस.



Principal

K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)





Manager

K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)

3. यह कि विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लियो जायेगा।
4. यह कि संस्थान द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।
5. यह कि संस्थान के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्यस वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
6. यह कि कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।
7. यह कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. यह कि विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप में पढाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाई जायेगी।
9. यह कि विद्यालय का रिकार्ड प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
10. यह कि उपर्युक्त क्रम में कोई परिवर्तन/संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नहीं दिया जायेगा।
11. यह कि उपर्युक्त क्रम में प्रतिबन्धों को सोसायटी के बाईलॉज में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

04/06/21



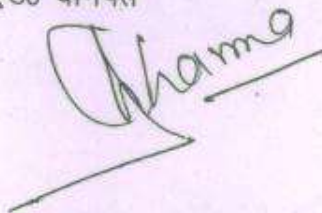
Jain
Principal
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)

Chaitanya
Manager
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)

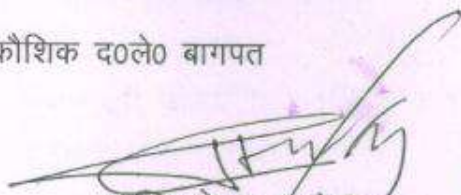
यह ट्रस्टनामा/पूरक पत्र आज दिनांक 20.12.2024 को संस्थापक ट्रस्टी के द्वारा एवं सहमति से लिख गया है।

रचयिता एवं फोटो प्रमाणित : हरिओम कौशिक दस्तावेज लेखक बागपत।

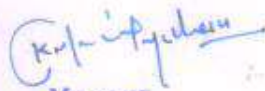
साक्षी : संजीव कुमार शर्मा एडो बागपत



साक्षी : हरिओम कौशिक द0ले0 बागपत



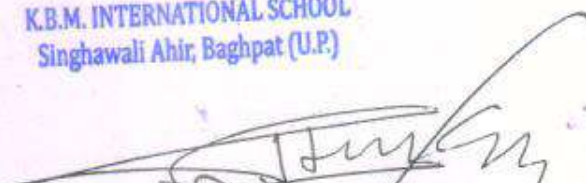
हरिओम कौशिक
दस्तावेज लेखक
बागपत सदर
मो०-9411024160, 8273739604

Manager
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)



Principal
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)



हरिओम कौशिक
दस्तावेज लेखक
बागपत सदर
मो०-9411024160, 8273739604

आवेदन सं०: 202400736017203

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 233 के पृष्ठ 233 से 248 तक क्रमांक 78 पर
दिनांक 20/12/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शिव शंकर सिंह
उप निबंधक : सदर
बागपत
20/12/2024

